संख्या-22/2021/आ0मि0-174(2)/96-आयुष-2-2021-39/2016 टी0सी0-1

प्रेषक,

प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
यूनानी सेवायें,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष् अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 22 अक्टूबर, 2021

विषय- आयुष मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना के सापेक्ष अवशेष राज्यांश को चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी लखनऊ के पत्र संख्या-373/57-ई/मि0नि0/2021-22, दिनांक 12-10-2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुष मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 की कार्ययोजना के सापेक्ष अवशेष राज्यांश धनराशि रू0 374.468 लाख (रू0 तीन करोड़ चौहत्तर लाख छियालीस हजार आठ सौ मात्र) को अवमुक्त किए जाने पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः-

1- विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- अवमुक्त धनराशि का आहरण एक मुश्त नहीं किया जायेगा अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि को आहरित कर डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।
3- बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश विभाग द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
4- विभाग द्वारा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग योजना में दिये गये प्रयोजन पर किया जाएगा। उक्त के साथ ही प्रश्नगत योजना की गाइडलाइन/दिशा-निर्देशों में दी गयी शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।
5- विभाग द्वारा इस योजना के लिए पूर्व में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के प्रयोजन पर व्यय किया गया है।
6- स्वीकृत धनराशि को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उ0प्र0 राज्य आयुष सोसाइटी, लखनऊ की वित्तीय वर्ष 2019-20 की अनुमोदित वार्षिक कार्य-योजना पर ही व्यय किया जाएगा। किन्ही अन्य कार्य-मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्यावर्तन अनुमन्य नहीं है।
7- विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आयुष मिशन की कार्ययोजना वर्ष 2019-20 के सापेक्ष स्वीकृत किये जा रहे इस अवशेष राज्यांश का आहरण पूर्व में नहीं किया गया है।

2- उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-33 के लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05 चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-103-यूनानी-01 केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय आयुष मिशन-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-3-1706(1)/दस-2021, दिनॉक 22 अक्टूबर, 2021 में प्राप्त सहमति के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(प्रशान्त त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-22/2021/96-आयुष-2-2021 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार उ0प्र0 प्रयागराज।
2- संयुक्त सचिव/निदेशक, आयुर्वेद, योगा एवं नैचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी मंत्रालय, आयुष भवन, बी ब्लाक, जीपीओ काम्पलेक्स, आईएनए, नई दिल्ली।
3- मिशन निदेशक, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, होम्योपैथ निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त अधिकारी, राज्य आयुष सोसाइटी, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3/वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं आयुष अनुभाग-1
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।